पेज थ्री देहरादून

हमारा दून

देहरादून शुक्रवार 29 मई 2020 पेज 8

सफाईकर्मियों का सम्मान करते हुए मेयर।

संक्षिप्त समाचार

उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्यवाहीः जिलाधिकारी

संवाददाता देहरादून। डीएम डा. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कहा है कि नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत स्थित प्रेमबत्ता गली संतोवाली घाटी में कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने के फलस्वरूप कोविड 19 रेगुलेशनस 2020 ईपीडिमिक्स डिसीसेज एक्ट 1857 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन जनहित में आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय करने अपरिहार्य हो गये है ओर प्रेमबत्ता गली सत्तोवाली घाटी का वह हिस्सा जिसके पूरब की दिशा में मुख्य मार्ग को जाने वाला रास्ता, पश्चिम दिशा में संजय कुमार का मकान, उत्तर दिशा में संगीरा का मकान तथा दक्षिण दिशा में जयंती का मकान अव्यवस्थित को कन्टेन्मेंट जोन घोषित किया गया है और यह क्षेत्र पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा और सभी स्थानीय लोग अपने अपने घरों में ही रहेंगें।

वेतन, भत्तों में कटौती पर सचिवालय को पूर्ण रूप से बंद करने की दी चेतावनी

संवाददाता देहरादून। उत्तराखंड सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा वेतन भत्तों की कटौती किए जाने की मंशा को देखते हुए सचिवालय संघ की आपातकालीन बैठक आयोजित की गई जिसमें सचिवालय के सभी संवर्गीय संघो के पदाधिकारियों द्वारा अपने विचार रखे गए और फिर से सचिवालय को पूर्ण रूप से बंद करने की चेतावनी दी गई।

बिना अनुमति एम्बुलेंस से मुरादाबाद से नैनीताल पहुंचा परिवार, मुकदमा दर्ज

संवाददाता देहरादून। प्रवासियों की आमद से संक्रमण के मामलों में हुई बढ़ोत्तरी ने प्रशासन, पुलिस स्वास्थ्य महकमें की चिंता बढ़ा दी है। लेकिन कुछ लोग इसकी गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं। गुरुवार को शहर के मेट्रोपोल क्षेत्र निवासी एक परिवार एम्बुलेंस से बिना अनुमति मुरादाबाद से नैनीताल पहुंच गया। पुलिस ने परिवार के तीन सदस्यों समेत एम्बुलेंस चालक और हेल्पर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

टैली रिपोर्ट्स अब वेब ब्राउजर पर उपलब्ध

संवाददाता देहरादून। व्यापारी अब किसी भी डिवाइस पर और कहीं से भी टैली रिपोर्ट्स को एक्सेकस कर सकते हैं देहरादून। भारत का अग्रणी बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्रदाता टैली सॉल्यूशन्स टैली एक्सकपीरिएंस को वेब ब्राउजर पर लेकर आया है। इस रिलीज के लॉन्च के साथ, टैली का उद्देश्य बिजनेसे को सहयोग करना है ताकि चाहे व्यापारी कहीं भी हों..कोई भी डिवाइस इस्तेटमाल कर रहे हों..वो अपने बिजनेस डाटा का आसानी से उपयोग कर पायें।

'मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना' का हुआ शुभारम्भ

निर्देश

संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि इस योजना की जानकारी गांव–गांव तक पहुंचाई जाय ताकि युवा इस योजना का लाभ उठा सकें। जन प्रतिनिधियों एवं जिलास्तरीय अधिकारियों के माध्यम से योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय। इस योजना के तहत लाभार्थियों को लोन लेने में कोई समस्या न हो इसके लिए डीएम, बैंकर्स से समन्वय करें।

युवाओं को मिलेगा स्वरोजगार का अवसर, रिवर्स पलायन को मिलेगा बढ़ावाः मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, राज्य के उद्यमशील युवाओं और कोविड–19 के कारण उत्तराखण्ड

विनिर्माण में 25 लाख रूपये और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रूपये तक की परियोजनाओं पर मिलेगा ऋण

राज्य के उद्यमशील एवं प्रवासी उत्तराखण्डवासियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना मुख्य उद्देश्य

वापस लौटे लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इससे कुशल और अकुशल दस्तकार, हस्तशिल्पि और बेरोजगार युवा खुद के व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित होंगे। राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकार द्वारा रिवर्स पलायन के लिए किए जा रहे प्रयासों में योजना महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में पात्रता की शर्तें एवं अहर्ताः इस योजना के अन्तर्गत आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है। योजना के अन्तर्गत उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध होगी। आवेदक अथवा उसके परिवार के सदस्य को योजना के तहत केवल एक बार लाभान्वित किया जायेगा। लाभार्थियों का चयन अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रोजेक्ट वायबिलिटी को देखते हुए 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर किया जायेगा।

आवेदन की प्रक्रिया एवं योजना का क्रियान्वयनः आवेदक, महाप्रबंधक एवं जिला उद्योग केन्द्रों में ऑनलाईन एवं मैनुअल आवेदन कर सकते हैं। योजना के क्रियान्वयन के लिए एमएसएमई विभाग के नियंत्रणाधीन उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड नोडल विभाग होगा। योजना का क्रियान्वयन जिला स्तर पर जिला उद्योग केन्द्र द्वारा किया जायेगा। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रमेश भट्ट, आईटी सलाहकार रवीन्द्र दत्त, निदेशक उद्योग सुधीर नौटियाल आदि उपस्थित थे।

मार्जिन मनी होगी अनुदान के रूप में समायोजित

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों के माध्यम से सभी पात्र विनिर्माणक, सेवा और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए वित्त पोषित किया जायेगा। एमएसएमई विभाग द्वारा योजना के अन्तर्गत मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी। विनिर्माण क्षेत्र में परियोजना की अधिकतम लागत 25 लाख रूपये और सेवा व व्यवसाय क्षेत्र के लिए अधिकतम लागत 10 लाख रूपये होगी। एमएसएमई नीति के अनुसार वर्गीकृत श्रेणी ए में मार्जिन मनी की अधिकतम सीमा कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, श्रेणी बी व बी में 20 प्रतिशत तथा सी व डी श्रेणी में कुल परियोजना लागत का 15 प्रतिशत तक मार्जिन मनी के रूप में देय होगी। उद्यम के 02 वर्ष तक सफल संचालन के बाद मार्जिन मनी, अनुदान के रूप में समायोजित की जायेगी। योजना के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत जबकि विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत का 05 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा।

विधायक को विशेष पास कैसे कर दिया गया जारी

सवाल

■ हाईकोर्ट ने सरकार से तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के दिए निर्देश

देहरादून। **संवाददाता**

हाईकोर्ट ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले के विधायक अमनमणि त्रिपाठी व दस अन्य को बद्री–केदारनाथ जाने के लिए पास जारी करने के मामले में पहुंचा है। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के साथ ही अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि विधायक व साथियों को विशेष पास कैसे जारी कर दिया गया। याचिका में पूरे मामले में सीबीआई जांच के साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति रमेश खुल्बे की खंडपीठ में उमेश कुमार की

लॉकडाउन का उल्लंघन कर उत्तराखंड पहुंचे थे विधायक

पिछले दिनों लॉकडाउन का उल्लंघन कर विधायक अमनमणि त्रिपाठी बदरीनाथ की यात्रा पर निकल पड़े थे। उनके काफिले को चमोली जिले के कर्णप्रयाग में पुलिस ने रोका और कर्णप्रयाग के उप जिलाधिकारी ने नियम बताने की कोशिश की तो उनसे अभद्रता की गई। विधायक का कहना था कि वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वर्गीय पिता के पितृ कार्य के निमित्त बदरीनाथ जा रहे हैं। उनके पास बाकायदा उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश और देहरादून के अपर जिलाधिकारी रामजी शरण के हस्ताक्षर से जारी अनुमति पत्र भी थे। अमनमणि के पास के मुताबिक देहरादून से श्रीनगर, श्रीनगर से बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से केदारनाथ और फिर केदारनाथ से देहरादून तक का शेड्यूल लिखा था।

जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सरकार की ओर से पिछली सुनवाई में याचिका को खारिज योग्य करार दिया था। इस मामले में उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश में विधायक व उनके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है और यह केस सीबीआई को सौंपे जाने योग्य नहीं है। कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के साथ ही अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

उत्तराखंड में कोरोना के मामले 494 पहुंचा मौत

संवाददाता देहरादून। गुरुवार को बृहस्पतिवार दो बजे के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार उत्तराखड में 26 और लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसमें देहरादून में छह, हरिद्वार में आठ और टिहरी में दस लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। नैनीताल जिले के रामनगर में कोरोना पॉजिटिव आए कैंसर पीड़ित एक युवक की मौत हो गई। वहीं, देहरादून में निरंजनपुर मंडी के तीन और आढ़ती की कोरोना रिपोर्ट पाजीटिव आई है। इनकी निजी लैब में जांच कराई गई थी।

वहीं, श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल में भर्ती रूद्रप्रयाग निवासी युवक की भी रिपोर्ट पाजीटिव आई है। वहीं, हरिद्वार जिले के कलियर में क्वारंटाइन किए गए सात प्रवासियों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। इनमें से 81 मरीज स्वस्थ होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। तीन मरीज राज्य से बाहर जा चुके हैं, जबकि कोरोना संक्रमित चार मरीजों की मौत भी हो चुकी है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक
प्रदीप चौधरी
द्वारा
एल.के प्रिंटर्स,74/9,आराघर,देहरादून
से मुद्रित
व जाखन जोहड़ी रोड,
पी.ओ–राजपुर, देहरादून से प्रकाशित।
संपादकः प्रदीप चौधरी

सिटी कार्यालयः
शिवम् मार्केट, द्वितीय तल
दर्शनलाल चौक, देहरादून।
फैक्स नं०–
0135-2650558
(M) 9319700701
pagethreedaily@gmail.com
आर.एन.आई.नं0
UTTHIN\2005\15735
सभी विवादों का न्याय क्षेत्र देहरादून
ही मान्य होगा।